दाखिल करने की तिथि: 16-06-2022
पंजीकरण तिथि:-16-06-2022
निर्णय की तिथि: 23-04-2025
अवधि :-
साल महीना दिन

वडोदरा के माननीय न्यायाधीश की अदालत में, परिवार न्यायालय संख्या 3।

सीआर.5.ए. संख्या 577/2022
संख्या-

आयु [redacted]

आवेदक

[redacted] घर का काम

(1)[redacted]

निवास: [redacted]

ख़िलाफ़

उम्र का कारोबार

[redacted]

[redacted] व्यापार

[redacted]

निवास: [redacted]

कर्ट वडोद
ीली कोर्ट, वडोदरा।

विषय: दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अनुसार भरण-पोषण प्राप्त करने का मामला।

आवेदक के विद्वान वकील: एल.एस. गोस्वामी

दूसरी ओर, विद्वान वकील श्री:

-:: संकल्प ::-

याचिकाकर्ता के आवेदन के संक्षिप्त

१. तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का विवाह प्रतिवादी के साथ 04/08/2002 को सूरत में हुआ था और उस तारीख से प्रतिवादी याचिकाकर्ता की कानूनी पत्नी और प्रतिवादी याचिकाकर्ता के कानूनी पति बन गए। उनके वैवाहिक जीवन से एक बेटी [redacted] का जन्म हुआ, जो स्नातक की आयु की है (यू.वी.ए. 18)। अब पति उसे अपने साथ ले गया है और स्थिति को बिगाड़कर आवेदक को उससे अलग करने की कोशिश कर रहा है। शादी के बाद वे कुछ समय तक सूरत में पति के साथ संयुक्त परिवार में रहे, फिर पति की नौकरी [redacted] में हो गई, इसलिए वह आवेदक को वडोदरा ले आया। वडोदरा में रहने के दौरान आवेदक का वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बेटी [redacted] का जन्म हुआ। इसके बाद पति व्यापार के सिलसिले में मुंबई, [redacted] आदि विभिन्न स्थानों पर जाया करता था। वर्ष 2005 से पति आवेदक को राजकोट में अपने साथ रहने के लिए ले आया, जिसके बाद पति का व्यवहार आवेदक के प्रति बदल गया। पति आवेदक के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करता था और केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही उससे संबंध रखता था और छोटी-छोटी बातों पर भी उसके साथ क्रूरता से पेश आता था। आवेदक ने अपने पति के साथ कई बार झगड़े करने के बाद घर पर काफी पैसा खर्च किया। उसे।

बी

उन्होंने पैसे नहीं दिए, जिसके कारण आवेदक को ट्यूशन लेनी पड़ी और अपनी बेटी का खर्च खुद उठाना पड़ा। मकान मालिक आवेदक की सारी बचत ले लेता था और राजकोट का मकान भी आवेदक की आमदनी में शामिल था, इसलिए मकान आवेदक और मकान मालिक के संयुक्त नाम पर था। इसके बावजूद, मकान मालिक आवेदक को ताने मारता था और कहता था कि वह कायर है और किसी से नहीं डरता। वह आवेदक से बार-बार झगड़ा करता था और उसे प्रताड़ित करता था। उसने आवेदक की बेटी की शिक्षा का कोई खर्च भी नहीं दिया, जिसके कारण आवेदक ने अपना पूरा जीवन बेटी की शिक्षा, पालन-पोषण और करियर में लगा दिया। फिर किसी कारणवश, व्यापार के बहाने, मकान मालिक आवेदक और उसकी बेटी को वडोदरा ले आया और उन्हें किराए के मकान में रखा, जिसका किराया भी आवेदक को ही देना पड़ता था। जब भी मकान खाली करने का समय आता, आवेदक को ही उसका इंतजाम करना पड़ता था और सारा खर्च खुद उठाना पड़ता था। वर्ष 2019 में जब वडोदरा में बाढ़ आई, तो किराए के मकान में रखा सारा सामान नष्ट हो गया और वे बेघर हो गए। आवेदक की कोई आमदनी नहीं थी और घर चलाने के लिए उसे अपने माता-पिता से पैसे लेने पड़ते थे। इस संबंध में, जब मकान मालिक ने उससे घर बेचने का अनुरोध किया, तो उसने कहा कि वह उसके पिता को बता देगा और उन्हें घर दे देगा, लेकिन उसने आवेदक को अकेला छोड़ दिया ताकि वह पीछे न छूट जाए। आवेदक के माता-पिता को इस बारे में बात करनी पड़ी ताकि आवेदक सुखी जीवन जी सके। आवेदक के माता-पिता ने [redacted] में एक घर खरीदा और अपना सारा सामान उसमें रख दिया। हालाँकि, जब मकान मालिक ने

shoreekanoon.com

जब आवेदक वडोदरा आता था, तो वह आवेदक पर झूठा शक करता, उससे झगड़ा करता, उसकी बेटी के सामने उसे गाली देता और महंगी चीजें देकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता था। अगर आवेदक किसी बात पर अपनी बेटी से सवाल करता, तो दूसरा पक्ष जानबूझकर इसका फायदा उठाकर आवेदक को अपमानित करता था। इस तरह, दूसरा पक्ष आवेदक को परेशान करने के लिए आता था। यहां तक कि जब 7 फरवरी 2021 को बेटी का जन्मदिन मनाने की योजना थी, तब भी दूसरे पक्ष ने बिना किसी आपत्ति के आवेदक को पीटा और खूब झगड़ा किया। इसके अलावा, आवेदक की बेटी उसकी जानकारी के बिना अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें डाउनलोड कर रही थी, और जब आवेदक ने उसे रोकने की कोशिश की, तो दूसरे पक्ष ने फिर से उसका साथ दिया और आवेदक से झगड़ा किया और उसे पीटा, इसलिए आवेदक ने [redacted] डाकघर में शिकायत दर्ज कराई। दूसरा पक्ष डर गया और उसने आवेदक से माफी मांगी और उससे कहा कि वह ऐसा दोबारा न करे ताकि बेटी पर बुरा असर न पड़े। आवेदक ने शिकायत वापस ले ली, लेकिन दूसरे पक्ष ने आवेदक के नेक इरादों को अनदेखा करते हुए, अपने झूठे अहंकार के कारण उसकी बेटी [redacted] को आवेदक के खिलाफ भड़काया और 10/02/2021 को उसे अपने साथ राजकोट ले गया और उसकी बेटी को आवेदक से अलग कर दिया। बेटी भी अपने पिता के आर्थिक प्रलोभनों में फंस गई और आवेदक के सरल और सुसंस्कृत व्यवहार को छोड़कर राजकोट चली गई ताकि दूसरे पक्ष के साथ एक स्वतंत्र और फैशनेबल जीवन जी सके। दूसरे पक्ष ने आवेदक को उसकी बेटी से अलग करके उसका जीवन बर्बाद कर दिया है।

पति अपने पति के किसी भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और लगातार आवेदक को अकेला छोड़ देता है। साथ ही, वह आवेदक को कोई भरण-पोषण भी नहीं देता। कोरोना काल से ही आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। पति अक्सर आवेदक को तलाक देने की धमकी देता है। शादी के बाद पति की मां ने आवेदक का मंगलसूत्र भी उतार दिया और दहेज भी नहीं दिया, बल्कि दहेज को लेकर उसे ताने मारती रहती थी। पति गुजरात और पूरे भारत में [redacted] के नाम से एक बड़ा व्यवसाय करके 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक आय अर्जित करता है और विलासितापूर्ण जीवन जीता है। पति ने राजकोट में एक घर लिया हुआ है, जिसमें आवेदक की संयुक्त संपत्ति है। सूरत में उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। पति के पिता सीमा शुल्क अधिकारी थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी सास को पेंशन मिलती है। साथ ही, सास आबकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार, आवेदक की सास दोहरी पेंशन की बड़ी राशि प्राप्त करके बहुत आराम से जीवन यापन कर रही हैं। पति/पत्नी का भाई स्वतंत्र रूप से आय अर्जित करता है। पति/पत्नी आवेदक के अलावा किसी और के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आवेदक कोई नौकरी नहीं करता है और न ही उसकी आय का कोई स्रोत है और न ही उसे किसी घरेलू उद्योग का ज्ञान है। आवेदक का भरण-पोषण उसके माता-पिता की सहायता से होता है। इसके अलावा, इस आवेदन को करने से पहले, आवेदक ने 19/05/2022 को पति/पत्नी को एक नोटिस दिया था, जिसे पति/पत्नी ने प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज

shoneekapoor.com

प्रतिवादी ने अभी तक इस अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।

२. जब याचिकाकर्ता ने आवेदन दाखिल किया, तो प्रतिवादी को मानक नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी अदालत में पेश हुआ और उसने नोटिस संख्या 10 के तहत अपना जवाब दाखिल किया। अपने जवाब में प्रतिवादी ने बचाव में कहा है कि 04/08/2002 को सूरत में याचिकाकर्ता के साथ विवाह के बाद, याचिकाकर्ता कुछ समय तक प्रतिवादी के साथ संयुक्त परिवार में रही और उस दौरान वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वडोदरा में बेटी [redacted] का जन्म हुआ। 2008 में, याचिकाकर्ता ने महिलाओं के अधिकारों पर एक सेमिनार में भाग लिया और तब से याचिकाकर्ता के व्यवहार में बदलाव आ गया। वह कभी घर पर तो कभी पड़ोसियों से याचिकाकर्ता से बहस करता था, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। 2008 से याचिकाकर्ता के दुर्व्यवहार के कारण याचिकाकर्ता का जीवन दयनीय हो गया है। ऐसी स्थिति में भी, प्रतिवादी एक पिता और पति के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था। फिर 2016 में, आवेदक ने समावाला को बताया कि उसे वडोदरा के अ[redacted] स्थित [redacted] में नौकरी मिल गई है, इसलिए अब वह वडोदरा जा रहा है और अपनी बेटी [redacted] को भी साथ ले जा रहा है और राजकोट वाले घर से टीवी, फ्रिज, घरेलू सामान और आवेदक के गहने जैसे सभी सामान अपने साथ ले जा रहा है और उसे वडोदरा में नौकरी मिल गई है।

उन्हें बताने के बाद, वे वडोदरा में रहने आ गए। जब आवेदक वडोदरा गया, तो [redacted] का भी उसी स्कूल में दाखिला हो गया और चूंकि ससुराल वालों का कारोबार राजकोट में था, इसलिए वे वहां अकेले रहने लगे। ससुराल वाले पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ थे, इसलिए वे हर महीने आवेदक के एसबीआई और एक्सिस बैंक खातों में 10,000 रुपये भेजते थे और समय के साथ, जब बेटी की ट्यूशन की जरूरत पड़ी, तो ससुराल वाले उसके लिए भी पैसे देते रहे। समय के साथ, आवेदक और मकान मालिक के बीच छोटे-बड़े झगड़ों के कारण रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे और यह सिलसिला चलता रहा। फिर मकान मालिक को पता चला कि आवेदक का [redacted] या [redacted] से संबंध है। यह जानकर मकान मालिक बहुत परेशान हो गया। मकान मालिक ने सोचा कि हम इतने सालों से राजकोट में अकेले रह रहे हैं और आवेदक ने इस तरह मकान मालिक को धोखा दिया। उसने मकान मालिक पर भरोसा किया था। दरअसल, यह जानकर मकान मालिक को गहरा सदमा लगा। इसके अलावा, मकान मालिक को यह जानकारी मिली कि आवेदक का जिस व्यक्ति से संबंध था वह बहुत अमीर था, इसीलिए उसने मकान मालिक के साथ ऐसा किया। धीरे-धीरे पता चला कि आवेदक का वह व्यक्ति राजकोट में भी उससे मिलने आता था। मकान मालिक उससे तब मिलता था जब वह काम पर जाता था और उसकी बेटी स्कूल जाती थी। आवेदक राजकोट से वडोदरा चला गया और वहां उसका [redacted] या [redacted] के साथ पति-पत्नी का संबंध था और वे हर रविवार और शनिवार को साथ में बाहर जाते थे।

बेटी और पड़ोसियों की परवाह किए बिना, आवेदक [redacted] [redacted] या [redacted] के साथ पति-पत्नी की तरह रह रहा था। जब यह सब हुआ और मकान मालिक को इसके बारे में पता चला, तो आज आवेदक और मकान मालिक के बीच पति-पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। आवेदक ने स्वयं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया में डिप्लोमा जैसे विषयों की पढ़ाई की है और मकान मालिक चाहता था कि आवेदक कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की पढ़ाई करे, जिसके लिए उसने फीस भी दी है। आवेदक को प्राथमिक शिक्षक के रूप में पाँच साल का अनुभव भी है। आवेदक स्वयं कमाने में सक्षम है और अपना खर्च खुद उठा सकता है।

3. आवेदक ने अपने आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

आवेदक की ओर से मौखिक साक्ष्य:-

आवेदक की ओर से साक्ष्य का शपथपत्र क्रमांक 12

क्रमांक 18 आवेदक की ओर से स्वामित्व और उत्तरदायित्व का शपथपत्र

3.१. आवेदक की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य:-

एन.5/1 विवाह प्रमाण पत्र

उपरोक्त कार्य में क्रमांक 29 से प्रतिपक्ष पक्ष की समापन कीमत प्रस्तुत की गई है।

4. प्रतिवादी ने अपने आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

विपक्षी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य:-

क्रमांक-31 विपक्षी पक्ष की ओर से साक्ष्य का शपथपत्र

क्रमांक-19 प्रतिपक्ष की ओर से स्वामित्व और दायित्व का शपथपत्र

४.१ विपक्षी पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य:-

20 नवंबर से 20 नवंबर तक	आईडीबीआई बैंक विवरण
क्रमांक 20/4वां 20/9	आईसीआईसीआई बैंक का बयान
20/7 से 20/9 तक	बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान
क्रमांक 32/1	याचिकाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार भरण-पोषण का हकदार नहीं है।
क्रमांक 32/2	फोटो और सीडी जमा करने के लिए 65B प्रमाणपत्र
क्रमांक 32/3	व्यक्ति से संबंध साबित करने वाली सीडी आवेदक का किसी अन्य

shoneekapoor.com

क्रमांक 32/4	आवेदक की जैनुल नामक व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध दर्शाने वाली तस्वीरें।
क्रमांक 32/5	आवेदक की व्हाट्सएप चैट की 140 पृष्ठों की प्रति।
क्रमांक 34/1	कवर लेटर
क्रमांक 34/2	अपनी बेटी [redacted] की स्कूल फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति की रसीद।
क्रमांक 34/3	उस विद्यालय के नाम की प्रतिलिपि जिसमें पति/पत्नी ने बेटी की फीस की राशि स्थानांतरित की थी
क्रमांक 34/4	प्रतिवादी द्वारा आवेदक को वर्ष 2016 से 2020 तक ऑनलाइन व्यवसाय चलाने के लिए भुगतान की गई राशि के विवरण की प्रति।
क्रमांक 34/5	आवेदक द्वारा ट्यूशन फीस जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा राशि की प्रति।
क्रमांक 36/1	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मामले को बंद करने और विवाह को अमान्य घोषित करने की याचिका।

उपर्युक्त कार्य में प्रतिपक्ष पक्ष की ओर से क्रमांक 37 से समापन मूल्य प्रस्तुत किया गया है।

shoneekapoor.com

5. माननीय न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की ओर से उसकी बात सुनी।

5.1 इस मामले में प्रतिवादी ने लिखित तर्क संख्या 38 प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़कर सुनाया गया।

6. इस याचिका के उचित निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठते हैं।

-:: મુદ્દા ::-

(1) क्या आवेदक यह साबित करता है कि प्रतिवादी ने आय के पर्याप्त साधन होने के बावजूद आवेदकों के भरण-पोषण में लापरवाही और उपेक्षा दिखाई है?

(2) क्या आवेदक अपने जीवनसाथी से मासिक भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं? यदि हाँ, तो प्रति माह कितनी राशि?

(3) क्या आदेश?

5.1 उपरोक्त मुद्दों पर मेरा निर्णय इस प्रकार है।

(1) सकारात्मक.

(2) सकारात्मक रूप से, अंतिम आदेश के अनुसार।

(3) अंतिम आदेश के अनुसार

shoneekapoor.com

कारण ::-

अंक संख्या-1 से 3:-

आवेदक ने आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में अपना हलफनामा प्रस्तुत किया है। तथ्य संख्या-12 के अनुसार, 04/08/2002 को आवेदक और उसके जीवनसाथी के विवाह के बाद, उनकी एक बेटी मिहिका का जन्म हुआ। वह वर्तमान में 18 वर्ष की है और अपने जीवनसाथी के साथ रहती है। विवाह के बाद, जीवनसाथी व्यापार के सिलसिले में [redacted] जैसे विभिन्न स्थानों पर जाया करता था और 2005 से आवेदक को राजकोट ले आया था। जीवनसाथी आवेदक के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करता था, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था और घरेलू खर्चों के लिए पैसे नहीं देता था, जिसके कारण आवेदक को ट्यूशन लेना पड़ता था और अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ता था। जीवनसाथी अपनी सारी बचत खर्च कर देता था। आवेदक की आय राजकोट स्थित उसके घर की आय में भी शामिल थी। यह घर आवेदक और उसके जीवनसाथी के संयुक्त नाम पर है। ससुराल वाले अक्सर आवेदक से झगड़ा करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे और उसकी बेटी की शिक्षा का खर्च नहीं उठाते थे। इस प्रकार, आवेदक ने अपना पूरा जीवन अपनी बेटी की शिक्षा और करियर में व्यतीत किया। इसके बाद, ससुराल वालों ने व्यापार के बहाने आवेदक और उसकी बेटी को वडोदरा ले आए। उन्होंने वडोदरा में एक किराए का मकान लिया, जिसका किराया आवेदक को समय-समय पर देना पड़ता था। मकान खाली करने का समय आने पर, आवेदक को अपना नया मकान ढूंढना पड़ता था और सभी खर्चे वहन करने पड़ते थे। वर्ष 2019 में, जब वडोदरा में बाढ़ आई, तो किराए के मकान में पानी घुस गया।

જતા તમામ સામાન ખલાશ થઇ ગયેલો ત્યારે અરજદાર પાસે કોઇ આવક ન હોય તેમના માતા-પિતા પાસેથી પૈસા લઇ ઘર ચલાવવુ પડતુ હતુ. સામાવાળાને ઘર વેચાતુ લેતા વિનંતી કરતા અરજદારને

किया और आवेदक से कहा कि वह अपने माता-पिता से घर ले आए, लेकिन मालिक उसे टालता रहा। इसलिए आवेदक ने अपने माता-पिता को सच बता दिया और उसके सुखी जीवन के लिए उसके माता-पिता ने उसे [redacted] में एक घर खरीद दिया।

सभी आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जाने के बावजूद, जब मकान मालिक वडोदरा आता था, तो वह आवेदक पर झूठा शक करता, उससे झगड़ा करता, उसकी बेटी के सामने उसे गाली देता और महंगी चीजें देकर उसकी बेटी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश **करता था। जब आवेदक अपनी बेटी से इस बारे में पूछता, तो** मकान मालिक पहल करके आवेदक को अपमानित करता था। 07/02/2021 को मकान मालिक ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई थी। उस समय मकान मालिक ने बिना किसी गलती के आवेदक की पिटाई की। बेटी ने उसे इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने से रोकने की कोशिश की थी। मकान मालिक ने उसका साथ दिया और आवेदक ने **उससे झगड़ा किया और उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसने बापोद** पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जब मकान मालिक डर गया और उसने आवेदक से माफी मांगी, तो उसने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और आवेदक ने शिकायत वापस ले ली ताकि बेटी पर इसका बुरा असर न पड़े। पति ने आवेदक को उसकी बेटी से अलग कर दिया है और पति के रूप में कोई भी कर्तव्य नहीं निभा रहा है, आवेदक को स्थायी रूप से छोड़ दिया है और कोई भरण-पोषण भी नहीं दे रहा है। आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आवेदक अपने माता-पिता के साथ रहता है ताकि उनकी मदद से

जोदरा डेमिली कोर्ट) वडोदरा.

shreekapoor.com

जीवन आगे बढ़ता है। पति बार-बार तलाक की धमकी देता है और आवेदक को छोड़कर तथा अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना देकर उसका जीवन बर्बाद कर चुका है। आवेदक ने पति और उसके परिवार के क्रूर व्यवहार के खिलाफ शादी बचाने के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस आवेदन को दाखिल करने से पहले, आवेदक ने रजिस्ट्रार के माध्यम से पति को नोटिस भी भेजा था। पति ने न तो इसका जवाब दिया और न ही भरण-पोषण राशि का भुगतान किया। इसलिए, यह आवेदन दाखिल किया गया है और अदालत से पति के खिलाफ भरण-पोषण आदेश जारी करने की मांग की गई है। आवेदक से पति के वकील द्वारा जिरह की गई है, यह देखते हुए कि आवेदक और पति का विवाह 22 वर्षों से चल रहा है। शादी के बाद, आवेदक सूरत में पति के साथ रहने चली गई, जहां उसकी सास रहती थी। आवेदक ने बताया है कि पति की मां के साथ 2 से 2.5 महीने रहने के बाद पति वडोदरा चला गया। आवेदक और पति के वडोदरा जाने के बाद पति भी वडोदरा चला गया। आवेदक ने बताया है कि उसके पति/पत्नी उसके बाद वडोदरा चले गए। आवेदक ने बताया है कि पति/पत्नी के साथ ढाई साल रहने के बाद वह वडोदरा में किराए के मकान में रहने लगे। पति/पत्नी का तबादला मुंबई से राजकोट हो गया और वे 2004 से 2017 तक राजकोट में रहे। आवेदक का पति/पत्नी से विवाह 2004 से 2017 तक चला। बताया गया है कि 2004 में एक बेटी का जन्म हुआ। आवेदक 2005 में पति/पत्नी के साथ राजकोट गए। दहेज की मांग के संबंध में आवेदक ने पति/पत्नी पर आरोप लगाया है।

shoneekapoor.com

याचिकाकर्ता ने समवाला के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। साथ ही, याचिकाकर्ता ने यह भी नहीं बताया है कि समवाला ने दहेज में क्या मांगा था। राजकोट में लिया गया मकान याचिकाकर्ता और समवाला के संयुक्त नाम पर है, जिसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता आर्थिक सहायता प्रदान करता था और राजकोट में शिक्षक के रूप में काम करता था और ट्यूशन क्लास चलाता था, जिसकी मासिक आय 8000 रुपये थी। याचिकाकर्ता लगभग 2017 में वडोदरा में रहने आया और समवाला ने याचिकाकर्ता से वडोदरा में ही रहने को कहा और कहा कि वह बाद में आएगा। उसकी बेटी याचिकाकर्ता के साथ वडोदरा में रहती थी। वह वडोदरा के [redacted] में किराए के मकान में रहती थी। जिस मकान में याचिकाकर्ता वर्तमान में रहता है, वह उसके पिता ने ले रखा है, जो उसकी मां के नाम पर है। याचिकाकर्ता वडोदरा में किराए के मकान का किराया देता था और उस समय छोटे-मोटे काम करता था। पति आवेदक के साथ प्रेमपूर्वक नहीं रहता था, इसलिए पति ने आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत को झूठा होने से इनकार किया है। आवेदक ने पति से सुलह कर ली थी और उसके साथ रहने चली गई थी, लेकिन पति से अलग होने के बाद उसने उसके साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया। इस संबंध में आवेदक ने कहा है कि पति ने उस पर हाथ उठाया और अपनी बेटी को भी आवेदक के खिलाफ भड़काया। आवेदक ने अपने पति से दोबारा शादी कर ली है। इस प्रकार, पति ने आवेदक पर हाथ उठाया, इसलिए आवेदक ने स्वीकार किया है कि उसने पति के साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया और उसे पति से प्यार भी नहीं मिल रहा था। आवेदक का भरण-पोषण उसके माता-पिता कर रहे हैं।

उनके पिता का निधन सितंबर 2023 में हो गया था। इसलिए, आवेदक अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं और वर्तमान में केवल उनकी माता ही जीवित हैं। यह दर्ज है कि प्रतिवादी ने आवेदक की बेटी की उपस्थिति में उन पर हाथ उठाया था, जिसके कारण आवेदक उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। प्रतिवादी ने अपने हलफनामे संख्या 31 में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों का उल्लेख किया है। इसमें प्रतिवादी ने आवेदक के झगड़ालू स्वभाव के बारे में बताया है और कहा है कि आवेदक के दुर्व्यवहार के कारण प्रतिवादी का जीवन दयनीय हो गया है। प्रतिवादी ने कहा है कि वह पति और पिता के सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। प्रतिवादी ने बताया है कि आवेदक को वडोदरा में नौकरी मिल गई थी। आवेदक ने प्रतिवादी से कहा कि उन्हें वडोदरा चले जाना चाहिए, जिसके बाद आवेदक ने घरेलू सामान लिया और वडोदरा में रहने आ गए। जब आवेदक से जिरह की गई, तो रिकॉर्ड में पाया गया कि प्रतिवादी का तबादला वडोदरा हो गया था और आवेदक और प्रतिवादी वडोदरा में एक किराए के मकान में रहने लगे थे। प्रतिवादी के अनुसार, जब आवेदक वडोदरा गया, तो उसकी बेटी का वडोदरा के एक स्कूल में दाखिला हो गया और चूंकि प्रतिवादी का अपना व्यवसाय था, इसलिए वह राजकोट में अकेला रहता था और पति और पिता के दायित्वों को निभा रहा था और आवेदक के खाते में हर महीने 10,000 रुपये जमा करता था और अपनी बेटी की ट्यूशन फीस भी देता था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि आवेदक का [redacted] व्यक्ति के साथ संबंध था और प्रतिवादी मानसिक रूप से विक्षिप्त था।

आवेदक कई वर्षों से राजकोट में रह रहा है और उसने इस तरह से विश्वासघात किया है। समावाला को यह भी पता चला कि आवेदक का जिस व्यक्ति से संबंध था, वह समय-समय पर राजकोट आता था और समावाला उससे तब मिलता था जब वह काम पर जाता था और उसकी बेटी स्कूल जाती थी। जब आवेदक राजकोट से वडोदरा आया, तो उसका [redacted] नामक व्यक्ति से पति-पत्नी का संबंध था। वह हर शनिवार और रविवार को बाहर जाता था और अपनी बेटी [redacted] को साथ ले जाता था। समावाला या पड़ोसियों की परवाह किए बिना, आवेदक जैनुल मुलानी के साथ पति-पत्नी की तरह रहता था और जब समावाला को इस बात का पता चला और उसे यकीन हो गया, तो आवेदक और समावाला के बीच पति-पत्नी का कोई संबंध नहीं था। इस संबंध में आवेदक के वकील श्री वी.वी. ने प्रतिवादी से जिरह की है, यह देखते हुए कि आवेदक से शादी के बाद वह अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे विभिन्न स्थानों पर रहा। प्रतिवादी ने जिरह के दौरान कहा कि जब वह व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता था, तो उसकी पत्नी और बेटी अकेले रहती थीं। वर्ष 2005 से प्रतिवादी राजकोट में रह रहा है। प्रतिवादी ने कहा है कि वह अपनी बेटी की फीस भरता था। यह बात सही है और आज तक वह अपनी बेटी की फीस भरता आ रहा है और उसने इसका सबूत भी पेश किया है। प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि जब आवेदक और उसकी बेटी वडोदरा आए थे, तो वे पहले किराए के मकान में रहते थे और बाद में वडोदरा में अपना मकान ले लिया, लेकिन प्रतिवादी ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया है कि आवेदक ने वडोदरा में अपना मकान ले लिया है।

यह बताया गया है कि मकान मालिक के पास यह संपत्ति नहीं है। मकान मालिक को पता है कि वर्ष 2019 में बाढ़ आई थी। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उस समय आवेदक जिस घर में रह रहा था, उसमें बाढ़ के कारण सभी घरेलू सामान नष्ट हो गए थे। आवेदक ने मकान मालिक को वर्ष 2019 में आई बाढ़ के बारे में सूचित किया था और उनसे वडोदरा में अपना घर खरीदने के लिए भी कहा था। इसके बाद आवेदक को बताया गया कि मकान मालिक ने उनके पैसों से वडोदरा में घर नहीं खरीदा। स्पष्टीकरण देते हुए मकान मालिक ने कहा कि उन्होंने राजकोट में एक घर खरीदा था, इसलिए उनके पास दूसरा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मकान मालिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि आवेदक वर्तमान में [redacted] में अपनी मां के नाम पर खरीदे गए घर में रह रहा है। प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक अपने माता-पिता की इकलौती संतान है और जब आवेदक सिद्धेश्वर प्लाजा में रहने लगा, तो वह कभी-कभी उनसे मिलने जाता था। 07/02/2021 को, जब उसकी बेटी का जन्म हुआ, तब प्रतिवादी वडोदरा स्थित अपने घर पर मौजूद था। प्रतिवादी ने जिरह में कहा है कि उसे याद नहीं है कि उसकी बेटी अपने नए मोबाइल फोन पर तस्वीरें डाउनलोड कर रही थी या नहीं और क्या आवेदक ने उसे तस्वीरें डाउनलोड करने से रोका था। प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उस दिन उसका आवेदक से झगड़ा हुआ था और आवेदक ने उसकी पिटाई की थी। क्या उसने बापोद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी? इसलिए, आवेदक और प्रतिवादी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस ने उनकी बेटी की वजह से आवेदक और प्रतिवादी को समझाया, जिसके बाद आवेदक ने अपनी शिकायत वापस ले ली।

आवेदक 07/02/2021 से 10/02/2021 तक मकान मालिक के घर पर रहे और 10/02/2021 को अपनी बेटी के साथ राजकोट चले गए। उन्होंने अपनी बेटी को वडोदरा नहीं भेजा और कहा कि उनकी बेटी आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती। आवेदक द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर, बेटी के जन्मदिन पर 07/02/2021 को आवेदक और मकान मालिक के बीच झगड़ा हुआ और उस समय मकान मालिक ने आवेदक की पिटाई की। इसके चलते आवेदक ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और आवेदक और मकान मालिक को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां से आवेदक ने अपना आवेदन वापस ले लिया। मकान मालिक के इस व्यवहार के कारण, आवेदक ने जिरह में कहा कि वह मकान मालिक के साथ नहीं रहना चाहते। इसके अलावा, जब भी मकान मालिक राजकोट लौटे, तो वे अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर उसके लिखित बयान के अनुसार है और याचिकाकर्ता का जैनुल मुशानी नामक व्यक्ति से संबंध होने का तथ्य प्रतिवादी ने अपने उत्तर में पहली बार बताया है तथा याचिकाकर्ता को जैनुल मुशानी से उसके संबंध के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज की गई है। इस प्रकार, प्रतिवादी की जिरह के दौरान यह रिकॉर्ड में है कि याचिकाकर्ता को उसके चरित्र के संबंध में लगाए गए आरोपों के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है और प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब याचिकाकर्ता ने 08/02/2021 को बापोद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ आवेदन दायर किया था, तो याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को बुलाया गया था और

JARA
डुपिली कोर्ट, वडोदरा

shoneekapoor.com

स्पष्ट किया गया है कि उस समय भी प्रतिवादी ने आवेदक को यह नहीं बताया था कि उसका जैनुल मुशानी के साथ संबंध है। प्रतिवादी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि आवेदक द्वारा भरण-पोषण के लिए आवेदन करने से पहले उसने अपने वकील द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया था। साथ ही, प्रतिवादी ने जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने जवाब में कहा था कि उसे आवेदक और जैनुल मुशानी के संबंध के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से पता चला था और उसके पास सबूत भी हैं कि उस व्यक्ति ने कितनी बार फोन किया था और प्रतिवादी ने आवेदक और जैनुल मुशानी के बीच हुई बातचीत को स्पष्ट किया था। उसने कहा है कि वे तस्वीरें, यानी स्वयं प्रतिवादी की, नहीं ली गई थीं और ये तस्वीरें सही हैं या गलत, इस बारे में प्रतिवादी ने जिरह में स्वयं कहा है कि वह सही है या गलत। अतः, प्रतिवादी द्वारा आवेदक के चरित्र संबंधी आरोपों के संबंध में, जो सूची संख्या 32 में दिए गए हैं, आवेदक ने यह निवेदन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अनुसार, जब आवेदक किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध में हो और प्रतिवादी ने उसके चरित्र संबंधी आरोप लगाए हों, तो आवेदक भरण-पोषण का हकदार नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का प्रावधान प्रदर्श 32/1 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और प्रतिवादी ने प्रदर्श 32/3 के अंतर्गत फोटो और सीडी के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तथा प्रदर्श 32/2 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमाण पत्र पर स्वयं प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटो और सीडी किस उपकरण से प्रस्तुत किए गए हैं तथा सीडी किसके द्वारा बनाई गई है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(ख) के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रतिवादी ने आवेदक की निशानी-32/4 और 32/5 के एक अन्य युवक के साथ ली गई तस्वीरों और आवेदक द्वारा व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से की गई किसी भी बातचीत के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इन तस्वीरों और व्हाट्सएप संदेशों से संबंधित साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा सिद्ध नहीं किए गए हैं। इस तस्वीर में आवेदक के साथ मौजूद व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जिसके साथ प्रतिवादी ने आवेदक के संबंध होने का दावा किया है, न ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप संदेश/चैट का साक्ष्य सिद्ध किया गया है, न ही उस फोन नंबर का साक्ष्य जिससे आवेदक ने यह संदेश भेजा था, और न ही प्रतिवादी के अनुसार, आवेदक ने उस व्यक्ति के साथ यह व्हाट्सएप संदेश या चैट भेजा था जिसके साथ आवेदक का संबंध है, किसी उचित साक्ष्य के साथ सिद्ध किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के चरित्र के संबंध में प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप इस प्रकार के प्रतीत होते हैं जिनसे याचिकाकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई है और प्रतिवादी ने पहले कभी भी याचिकाकर्ता को इस तथ्य का खुलासा नहीं किया या उसे इस मामले की जानकारी भी नहीं दी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध भरण-पोषण हेतु आवेदन करने पर ही प्रतिवादी ने उसके आवेदन के जवाब में यह बचाव उठाया है। हालांकि, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध इस बचाव को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है और स्वयं प्रतिवादी ने भी ऐसा नहीं किया है।

बी

shoneekapoor.com

जिरह के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें एक अज्ञात फोन नंबर से संदेश मिला था और उन्होंने उस संदेश की तस्वीरें प्रस्तुत की हैं। प्रतिवादी को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह फोन नंबर किसका था। साथ ही, प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक एआई ऐप चल रहा है जो किसी व्यक्ति का चेहरा बदल सकता है और ऑडियो-वीडियो भी बदल सकता है। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा, बेटी के जन्मदिन पर, आवेदक और प्रतिवादी के बीच बेटी की मृत्यु को लेकर एक घटना घटी, जिसके कारण आवेदक और प्रतिवादी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। तब से प्रतिवादी आवेदक के साथ नहीं रह रहा है और प्रतिवादी ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदक अपने माता-पिता की एकमात्र जीवित संतान है, लेकिन प्रतिवादी को यह नहीं पता कि आवेदक के पिता का निधन हो गया है और क्या आवेदक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है? इसके अलावा, प्रतिवादी को यह जानकारी नहीं है कि आवेदक और उसकी माता अपने पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन से अपना भरण-पोषण करते हैं। प्रतिवादी को इस तथ्य की भी जानकारी नहीं है कि आवेदक के पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रतिवादी ने कहा है कि वह आवेदक की देखभाल करने के लिए तैयार है और ऐसा करने को इच्छुक भी है, और यह तथ्य उसने पहली बार जिरह के दौरान कहा है। प्रतिवादी ने यह तथ्य अपने उत्तर या जिरह में नहीं बताया है। साथ ही, प्रतिवादी ने

shoneekapoor.com

इसलिए, प्रतिवादी ने न तो कोई नोटिस दिया है और न ही अदालत में कोई दावा दायर किया है। प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 10/02/2021 को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद, वह अपनी बेटी को अपने साथ ले गया था और फरवरी-2021 के बाद से उसने आवेदक को भरण-पोषण राशि भेजी है। साथ ही, आवेदक के लिए निवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आवेदक और प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संख्या 18 से आय, संपत्ति और देनदारी का हलफनामा प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी ने इसे संख्या 19 से प्रस्तुत किया है। आवेदक और प्रतिवादी 10/02/2021 से अलग रह रहे हैं। आवेदक ने कहा है कि उनका मासिक खर्च 30,000 रुपये है, लेकिन आवेदक ने अपने खर्चों के बारे में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक नौकरी या किसी अन्य काम से आय अर्जित नहीं करता है। जबकि प्रतिवादी की मासिक आय रुपये है। आवेदक ने अपने एसबीआई खाते का विवरण और आय, संपत्ति और देनदारियों का हलफनामा प्रस्तुत किया है, जो 09/09/2022 से 10/07/2023 तक का है। आवेदक के खाते में 1,00,000/- रुपये जमा हुए हैं और प्रतिपक्ष गुजरात, भारत और विदेशों में तन्ना ऑटोमेशन के नाम से व्यवसाय करता है। इस विवरण के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आवेदक के खाते में विभिन्न तिथियों पर वित्तीय लेनदेन हुए हैं। लेकिन प्रतिपक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि आवेदक नौकरी करके आय अर्जित करता है। आवेदक ने अपने आवेदन और हलफनामे में कहा है कि उसके बैंक खाते में एक बड़ी राशि जमा हुई है, जो उसके पिता ने नकद या चेक के माध्यम से दी थी।

shoreekanoon.com

यह राशि जमा कर दी गई है। आवेदक ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया है कि प्रतिवादी की माता और पिता की मृत्यु के बाद उसे पेंशन राशि मिल रही है। प्रतिवादी ने अपना आय, संपत्ति और देनदारी संबंधी हलफनामा संख्या 19 प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने यह भी बताया है कि उसकी मासिक आय 30,000 रुपये है और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट में उसने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-2023 तक के अपने आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा खातों की जानकारी दी है। आवेदक के वकील श्री वी.वी. ने प्रतिवादी से जिरह की है। इसमें प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता एम.एससी. (भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) है। उसने जहां काम किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसके तथ्य बताए गए हैं। प्रतिवादी का अधिकांश कार्य स्वचालन से संबंधित था और व्यापक अनुभव प्राप्त करने के बाद उसने राजकोट में अपनी कंपनी तन्ना ऑटोमेशन शुरू की। इसके अलावा, प्रतिपक्ष ने यह स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी में विभिन्न स्थानों से ऑर्डर आए थे और उन्हें अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ा था, इसलिए यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि प्रतिपक्ष की अपनी कंपनी 'तन्ना ऑटोमेशन' है। प्रतिपक्ष अपने नाम से आयकर का भुगतान करता है। आयकर रिटर्न 'तन्ना ऑटोमेशन' के नाम से मालिक के रूप में प्राप्त आय के अनुसार दाखिल किया जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न जमा कर दिया है, लेकिन यदि जमा नहीं किया है, तो यह कहा गया है कि वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रतिपक्ष ने केवल बैंक स्टेटमेंट जमा किया है, आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है, इसलिए प्रतिपक्ष की सटीक वार्षिक आय ज्ञात नहीं है।

shonekapoor.com

ऐसा प्रतीत होता है कि पति/पत्नी ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इसलिए उनकी आय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लेकिन पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में, क्रमांक 34 में यह उल्लेख है कि आवेदक ने पति/पत्नी को छोड़कर वडोदरा चले गए थे और पति/पत्नी उन्हें घर चलाने में आर्थिक सहायता करते थे और उनकी बेटी की ट्यूशन फीस भी भरते थे, जिसका साक्ष्य पति/पत्नी ने क्रमांक 34/2 और 34/3 के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पति/पत्नी ने आवेदक को घरेलू खर्चों के लिए ऑनलाइन राशि दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने यह राशि आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल करने से पहले दी थी। पति/पत्नी ने जिरह में स्वीकार किया है कि आवेदन दाखिल करने के बाद उन्होंने आवेदक को कोई भरण-पोषण राशि नहीं दी है। इसके अलावा, यद्यपि बेटी वर्तमान में प्रतिवादी के साथ रह रही है, प्रतिवादी उसके भरण-पोषण और शिक्षा के सभी खर्चों का वहन करता है और उसकी मां की जिम्मेदारी भी प्रतिवादी की है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक और प्रतिवादी 2021 से अलग रह रहे हैं, जिसके बाद से प्रतिवादी ने आवेदक के भरण-पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। लेकिन प्रतिवादी ने आवेदक से झगड़ा किया है और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, और आवेदक से सुलह करने की कोई तत्परता नहीं दिखाई है और न ही आवेदक को तलब करने का कोई प्रयास किया है। आवेदक को तलब करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही कोई दावा किया गया है। ऐसी स्थिति में, आवेदक को यह आवेदन दाखिल करने से पहले प्रतिवादी को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रतिवादी ने इस नोटिस में बताए अनुसार व्यवहार नहीं किया है।

અરજદારે આ અરજી કરી સામાવાળા પાસે ભરણપોષણની રકમ માંગેલ છે. અરજદારે તેમની ઉલટતપાસમાં સ્વીકારેલ છે કે અગાઉ તેમને काम करता था और आवेदक तथा प्रतिवादी ने संयुक्त रूप से राजकोट में एक संपत्ति खरीदी है, जिसमें आवेदक ने भी कुछ योगदान दिया है। इस प्रकार, आवेदक अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ आय अर्जित करने में सक्षम है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि आवेदक कोई काम करके अपना भरण-पोषण कर रहा है, तो आवेदक का कानूनी पति होने के नाते प्रतिवादी आवेदक की आय के कारण भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अतः, प्रतिवादी कानूनी और नैतिक रूप से आवेदक को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी अपनी माता और पुत्री के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार है, तथा प्रतिवादी की सटीक आय के संबंध में, प्रतिवादी ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उसके हलफनामे में उल्लिखित उसकी आय निश्चित रूप से 30,000 रुपये प्रति माह है, जबकि आवेदक ने प्रतिवादी की आय 1,00,000 रुपये प्रति माह बताई है। लेकिन चूंकि प्रतिवादी ने अपनी आय के संबंध में कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी की मासिक आय 30,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच है। तदनुसार, यदि प्रतिवादी आवेदक को भरण-पोषण के रूप में यह राशि भुगतान करता है, तो न्याय के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, यह उचित और न्यायसंगत समझा जाता है कि याचिकाकर्ता को आवेदन की तिथि से 7000 रुपये की मासिक भरण-पोषण राशि का भुगतान किया जाए। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर

आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और न्याय के व्यापक हित में, मुद्दा संख्या 3 पर निम्नलिखित अंतिम आदेश दिया जाता है।

-:: अंतिम आदेश ::-

1. आवेदक का यह आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

2. इस कार्य के प्रभारी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह आवेदक को इस आवेदन की तिथि से 7000/- रुपये प्रति माह का नियमित भरण-पोषण भुगतान करे, अर्थात् 7000/- रुपये प्रति माह।

3. यदि प्रतिवादी ने किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही में आवेदक को भरण-पोषण का भुगतान किया है, तो वह वसूली योग्य होगा।

4. प्रतिवादी को आवेदक को आवेदन लागत के रूप में 5000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

4. आवेदक को इस आदेश की एक प्रति प्रदान की जाए।

यह आदेश 23 अप्रैल, 2025 को खुली अदालत में पढ़ा गया, सुनाया गया, हस्ताक्षरित किया गया और घोषित किया गया।

गंतव्य: वडोदरा
दिनांक: 23/04/2025

(हसमुखराय सोमानी के बिना)
वडोदरा स्थित
पारिवारिक न्यायालय संख्या-3
के न्यायाधीश
द्वारा लिखित कोड संख्या GJ00679

कोर्ट वडोदरा

Keep नीचे 16/5/25

shoneekapoor.com

प्रतिलिपि तैयार करें:-

प्रतिलिपि की तुलना की गई:- ✓

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाणित प्रति है।

तारीख: 23/5/24

रजिस्ट्रार

पारिवारिक न्यायालय: वदूसरा

नेन प्रति लागू:-

9/5/24

रजिस्ट्रार

आवेदन कब पूरा हुआ:-

9/5/24

पंजीकरण करवाना

जब प्रति वितरण के लिए तैयार हो जाए

23/5/24

रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि वितरित करने की तिथि:-

1-7-25

रजिस्ट्रार

नकल शुल्क

जॉम्पेटिंग शुल्क

प्रभारी शुल्क

एनेरिफ़र

विशेष शुल्क

एस। टी.आर.

:rs. 70

अ

रु.:

रुपये:

कुल राय २१०

shoreekapoor.com